Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा सरकार।

सार्वजनिक सूचना

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा राज्यभर में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के लाइसेंस जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर, 2026 से बढ़ाकर 25 नवम्बर, 2026 कर दी गई है।

उक्त ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 को किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं पात्र परिवारों, विशेषकर उन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों, जहां वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें दूर स्थित हैं, को राशन की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना तथा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

इच्छुक एवं पात्र आवेदक अब 25 नवम्बर, 2026 तक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिला-वार एवं ग्राम-वार विवरण भी विभाग की वेबसाइट तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाया गया है।

सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं से अपील की जाती है कि वे इस विस्तारित अवसर का लाभ उठाएं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा संशोधित अंतिम तिथि से पूर्व SARAL पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह पहल हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाभार्थियों को आवश्यक खाद्यान्न की बेहतर एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर अतिरिक्त स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसर भी सृजित होंगे।

(ईएनटी0)
उप-निदेशक (पी0डी0एस0),
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़

Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS GOVERNMENT OF HARYANA

Public Notice

The Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Haryana, has extended the last date for submission of online applications for the grant of licences against 2,651 vacant Fair Price Shops (FPSs) across the State from 10th November, 2026, to 25th November, 2026.

The online portal for inviting applications was launched by the Hon'ble Chief Minister, Haryana, on 10th October, 2026, with the objective of improving the accessibility of ration depots for poor and eligible families, particularly those residing in areas distant from existing depots, creating self-employment opportunities for youth and promoting women's empowerment through 33% reservation for women.

Interested and eligible applicants can now submit their applications online up to 25th November, 2026, through the Haryana Antyodaya SARAL Portal at https://saralharyana.gov.in .

The detailed guidelines, eligibility conditions and instructions for submitting applications are available on the official website of the Department at https://haryanafood.gov.in. District-wise and village-wise details of vacant Fair Price Shops are also available on the Department's website and the respective District Administration websites.

All interested and eligible applicants, particularly youth and women, are encouraged to avail themselves of this extended opportunity. Applicants are advised to carefully read the prescribed guidelines and ensure submission of their applications through the SARAL Portal before the revised closing date.

The initiative is expected to strengthen the Public Distribution System in Haryana by ensuring better accessibility of essential foodgrains to beneficiaries and generating additional livelihood opportunities at the grassroots level.

— Sd -
Deputy Director (PDS)
for Director General Food Civil Supplies
and Consumer Affairs Department, Haryana.